खण्डित

खण्डित

खण्डित

खण्डित

खण्डित

न्यायालय परगनाधिकारी बागपत

वादस० — 13

अ०धारा — 143 ज०

जगराज सिंह बनाम ग्राम पंचायत

मौजा — टटीरी

नकल सवाल

संख्या — 340

नकल

आदेश दि०

23.1.2010

प्रबन्धक

टटीरी सर्वोदय शिक्षा प्रसार समिति

...पाल मण्डी टटीरी (बागपत)

रवाना संख्या-340 आदेश संख्या 475

न्यायालय परगनाधिकारी,बागपत।

वाद संख्या-(13) अ० धारा 143 उ०प्र०ज०वि० एवं भू०व्य०

मौजा- टटीरी

बेगराज सिंह पुत्र खचेडू अध्यक्ष, सर्वोदय शिक्षा प्रचार समिति रजि० नं० 1032 अग्रवाल मण्डी टटीरी निवासी ग्राम बली तहसील व जिला बागपत।

...प्रार्थी

बनाम

नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी टटीरी तहसील व जिला बागपत द्वारा चेयरमैन नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी टटीरी जिला बागपत।

............विपक्षी

मौजा- टटीरी

जाब्ता आदेश

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र वादी ने इस आशय से दायर किया कि प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 411 के रकबे 0.832हे0 में से रकबे 0.1567हे0 व एवं रकबा 0.832हे0 के 2/3 भाग 0.554हे0 कुल 0.7114हे0 स्थित अग्रवाल मण्डी टटीरी परगना व तहसील व जिला बागपत के मालिक काबिज हैं तथा उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी ने उक्त भूमि की चार दीवारी कर रखी है और उक्त भूमि मे कोई खेती भी नही हो रही है। उपरोक्त भूमि को प्रार्थी आबादी के प्रयोग मे लेना चाहता है। प्रार्थी इसके लिए उपरोक्त भूमि को अकृषिक के रूप मे राजस्व अभिलेखों मे दर्ज कराना चाहता है जिसके लिए मौके की जांच रिपोर्ट मंगायी जानी अति आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थी ने भूमि खाता संख्या 411 के रकबे 0.832हे0 मे से 0.1567हे0 व 0.832हे0 2/3 भाग 0.5547हे0 कुल 0.7114हे0 स्थित अग्रवाल मण्डी टटीरी परगना बागपत तहसील व जिला बागपत को प्रार्थी के नाम अकृषिक आबादी घोषित कर राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद कराने का अनुरोध किया है।

प्रार्थी/वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बागपत से जांच आख्या प्राप्त की गयी जिसमे उनके द्वारा दिनांक 22-10-2009 को आख्या प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया है कि मौजा टटीरी के खाता संख्या 411 के खसरा नम्बर 1066 व 1067 के 2/3 भाग क्षेत्रफल 0.7114हे0 पर माल कागजात मे श्री बेगराज सिंह पुत्र खचेडू निवासी बली अध्यक्ष सर्वोदय शिक्षा प्रचार समिति रजिस्ट्रेशन नम्बर 1032 का नाम बतौर बैनामा अंकित है मौके पर प्रश्नगत भूमि मे कोई कृषि कार्य नही किया जा रहा है चार दीवारी हो रही है. कोई कुक्कुट पालन मत्स्य पालन बागबानी का कार्य भी नही किया जा रहा है मौके पर भूमि खाली पडी है धारा 143 का नियम 135 साथ मे संलग्न है। अतः अध्यक्ष श्री बेगराज सिंह पुत्र खचेडू निवासी ग्राम बली परगना, तहसील व जिला बागपत की भूमि स्थित मौजा टटीरी खाता संख्या 411 के खसरा नम्बर 1066 रकबई 0.6534हे0 व खसरा नम्बर 1067 रकबई 0.0580हे0 कुल 2 किता रकबई 0.7114हे0 पर उ0प्र0 ज0 वि0 अधिनियम 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है।

तहसीलदार बागपत की उक्त आख्या के आधार पर उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर कर इस न्यायालय के पत्रांक 1374/रीडर-2009-10 दिनांक 22 दिसम्बर 2009 को सूचना सर्व-साधारण के लिए जारी की गयी जिसमे उल्लिखित किया गया था कि यदि इस सम्बन्ध मे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना हो तो वह दिनांक 30-12-2009 तक न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। इस सूचना की प्रति तहसीलदार बागपत को, नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी टटीरी को प्रचार प्रसार हेतु तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु भेजी गई थी तथा इस न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए सचिव बागपत-बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण बागपत को भी इस आशय से भेजी गयी थी कि इस सम्बन्ध मे यदि कोई आपत्ति हो तो नियत तिथि पर न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत करें परन्तु इस सम्बन्ध मे अभी तक किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति अथवा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति मे उचित होगा उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित कर दिया जाये। तहसीलदार बागपत की उक्त आख्या से भी स्पष्ट है कि अध्यक्ष श्री बेगराज सिंह पुत्र खचेडू निवासी ग्राम बली की भूमि मौजा टटीरी स्थित खाता संख्या 411 के खसरा नम्बर 1066 रकबई 0.6534हे0 व खसरा नम्बर 1067 रकबई 0.0580हे0 कुल 2 किता रकबई 0.7114हे0 मे किसी प्रकार का कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा बागबानी का कार्य नही हो रहा है।

अध्यक्ष
टटीरी सर्वोदय शिक्षा प्रचार समिति
अग्रवाल मण्डी टटीरी (बागपत)

तददनुसार अध्यक्ष श्री [illegible] सिंह पुत्र [illegible] निवासी ग्राम बली परगना व तहसील व जिला बागपत मौजा टटीरी स्थित खाता संख्या 411 के खसरा नम्बर 1066 रकबई 0.6534हे0 व खसरा नम्बर 1067 रकबई 0.0580हे0 कुल 2 किता रकबई 0.7114हे0 जिसके वह संक्रमणीय भूमिधर है, को उ0प्र0 ज0वि0अधिनियम 1950 की धारा 143 के अर्न्तगत अकृषिक/ आबादी भूमि इस शर्त पर घोषित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त भूमि पर कृषि इत्यादि का कार्य नही करेंगे। शासन/ प्राधिकरण द्वारा भविष्य मे की जाने वाली कार्यवाहियों पर इस घोषणा का कोई प्रभाव नही होगा। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। तथा आदेश की एक प्रति सब रजिस्टार बागपत को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक 23 जनवरी 2010

(आर0बी0तिवारी)
परगनाधिकारी,
बागपत।

23/01/10

सत्य प्रतिलिपि

पेशकार
परगना मजिस्ट्रेट
बागपत

संख्या 13/2
प्रार्थना पत्र की तिथि 2/2/2010
नकल जारी करने की तिथि 3/2/2010
हस्ताक्षर

प्रबन्धक
टटीरी सर्वोदय शिक्षा प्रसार समिति
अग्रवाल मण्डी टटीरी (बागपत)